सैयद पेडा आओलिया

बनाम

लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश, उच्च न्यायालय, हैदराबाद

आपराधिक अपील संख्या 1149/2001

13 जून, 2008

(डॉ. अरिजीत पासायत व पी.पी. नाओलेकर, जेजे.)

भारतीय दण्ड संहिता, **1860;** धारा **302** सपठित धारा **34,** दंड प्रक्रिया संहिता, **1973;** धारा **378 (1)** व **(3):**

हत्या - अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण की दोषमुक्ति - उच्च न्यायालय द्वारा अन्य सभी अभियुक्तगण को छोडकर अभियुक्त अपीलार्थी के दोषसिद्धी की पुष्टि हत्या के अपराध में की गई तथा उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई - शुद्धता - अभिनिर्धारित - जब तक कि बाध्यकारी या ठोस कारण न हो अपीलीय न्यायालय को दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करेगा - यदि उपलब्ध साक्ष्य पर दो विचार संभव हो जिसमें एक तरफ अभियुक्त की दोषिता व दूसरी ओर उसकी निर्दोषिता हो तो वह दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जो अभियुक्त के लिए अनुकूल हो - हस्तगत मामले में उच्च

न्यायालय द्वारा अपील में हस्तक्षेप की गुंजाइश से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपने मस्तिष्क का प्रयोग नहीं किया गया है और न ही अपील के दौरान दोषमुक्ति की कानूनन स्थिति को मददेनजर रखा गया है - अतः आदेश को अपास्त किया जाता है और मामले को उच्च न्यायालय को पुनः नये सिरे से विचार करने हेतु भेजा जाता है - दोषमुक्ति के खिलाफ अपील - अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप।

अपीलार्थी एवं अन्य चार अभियुक्तगण का हत्या के आरोप में धारा **302** सपठित धारा **34** भारतीय दंड संहिता के तहत विचारण किया गया था जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध अपना मामला साबित करने में असफल रहा है तथा सभी अभियुक्तगण को दोषमुक्ति का निर्देश दिया गया। अपील के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के अलावा अन्य सभी अभियुक्तगण के दोषमुक्ति के आदेश की पुष्टि की और उसे धारा **302** सपठित धारा **34** भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास का दण्ड दिया। अतः वर्तमान अपील पेश की।

अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा गवाहों के बयानों की साक्ष्य पर चर्चा नहीं की गई है तथा अचानक ही बयानों को स्वीकार कर निष्कर्ष दे दिया है।

प्रत्यर्थी राज्य द्वारा जाहिर किया गया कि हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विवृत्त रूप से विश्लेषण नहीं किया गया है किन्तु उसका निष्कर्ष गलत नही है।

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 उच्च न्यायालय द्वारा असावधान तरीके से राज्य द्वारा दायर की गई याचिका को निस्तारित किया है। जिस मामले में स्वीकार्य साक्ष्य को नजरअंदाज किया गया है। वहां अपीलीय न्यायालय की यह जिम्मेदारी है। वह साक्ष्य का पुनः विश्लेषण करे जहा अभियुक्त दोषमुक्त हुआ है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी अभियुक्त ने वास्तविकता में कोई अपराध किया है या नहीं। **(पैरा 5) [1154-ई, एच: और 1155-ए]**

1.2 अपीलीय न्यायालय पर दोषमुक्ति की साक्ष्य पर आधारित आदेश को रिब्यू करने पर कोई प्रतिरोध नहीं है। सामान्य तौर पर दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए क्योंकि दोषमुक्ति से अभियुक्त के निर्दोषिता की धारणा को और बल मिलता है। **(पैरा 5) [1154-ई और एफ]**

1.3 आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल में जो महत्वपूर्ण सिद्धान्त चलता है वह है कि यदि किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार दो दृष्टिकोण संभव हों जिसमें एक विचार अभियुक्त की दोषसिद्धि व दूसरा विचार उसके दोषमुक्ति पर इशारा करता हो तो वह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो। न्यायालय

का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। दोषियों को बरी करने से होने वाली न्याय की हानि किसी निर्दोष को दोषी ठहराए जाने से कम नहीं है। **(पैरा-5) [1154-**एफ, जी और एच**]**

1.4 दोषमुक्ति के फैंसले के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए अपीलीय न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाला सिद्धांत केवल तभी हस्तक्षेप करना है जब ऐसा करने के लिए बाध्यकारी और पर्याप्त कारण हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और प्रक्रिया में प्रासंगिक और ठोस सामग्री को अनुचित तरीके से हटा दिया गया है तो यह हस्तक्षेप करने का एक अनिवार्य कारण है। **(पैरा-5) [1155-**बी और सी**]**

शिवाजी सहाबराओ बोबदे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य **(**एआईआर **1973** एससी **2622),** रमेश बाबूलाल दोषी बनाम गुजरात राज्य **(1996 (4)** सुप्रीम **167***),* जसवंतसिंह बनाम हरियाणा राज्य **(2000 (3)** सुप्रीम **320),** राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य व अन्य **(2003 (7)** सुप्रीम **152),** पंजाब राज्य बनाम करनेल सिंह **(2003 (5)** सुप्रीम **508),** पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह व अन्य **(2003 (7)** सुप्रीम **17***)* एवं वी.एन.रतीश बनाम केरल राज्य **(2006 (10)** एससीसी **617) -**पर निर्भर किया।

2. वर्तमान मामले में उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के विरूद्ध की जाने वाली अपील में हस्तक्षेप करने के दायरे पर अपने विवेक का प्रयोग कानूनन स्थिति एवं विभिन्न पहलुओं पर नहीं किया है। इन परिस्थितियों में वर्तमान आदेश को अपास्त

किया जाता है व मामले को उच्च न्यायालय को भेजा जाता है कि वह दोवारा कानून के अनुसार अपीलार्थी की हद तक मामले पर विचारण करे। **(पैरा-7) [1156-एच, 1157-ए]**

फौजदारी अपील क्षेत्राधिकारः फौजदारी अपील संख्या 1149/2001।

हैदराबाद, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय के फौजदारी अपील संख्या 1937/1999 अन्तिम निर्णय व आदेश दिनांकित 17.08.2001 से।

जी. रामकृष्ण प्रसाद, अपीलार्थी की ओर से।

डी. भारती रेडडी, प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पासायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. वर्तमान अपील में आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बैंच के फैंसले को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य द्वारा दायर की गई अपील जो अपीलार्थी से सम्वंधित है जिसमें अन्य सह अभियुक्तगण की दोषमुक्ति को कायम रखा गया है। विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायालय गुन्टूर द्वारा पांचों अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया गया है जिनका धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता तथा धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के आरोप में विचारण किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के विश्लेषण के पश्चात यह पाया गया कि अभियोजन पक्ष लगाये गये आरोपों को साबित करने में

असफल रहा है जिसके अनुसार दोषमुक्ति के निर्देश दिये गये। राज्य द्वारा धारा 378(1) एवं (3) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत अपील दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलार्थी की हद तक विवादित आदेश की अपील की स्वीकृति दी गई व अन्य अभियुक्तगण पर की गई अपील को खारिज कर दिया गया है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जाहिर किया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा गवाहान की साक्ष्य पर चर्चा नहीं की गई है व साक्ष्य की ग्राह्यता पर अचानक निष्कर्ष दे दिया है।

3. दूसरी ओर प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह जाहिर किया कि हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्य का विस्तृत रूप से विश्लेषण नहीं किया है किन्तु उसका निष्कर्ष गलत नहीं है।

4. यह जरूरी नहीं है कि हम तथ्यात्मक स्थिति के विस्तार में जायें क्योंकि हम यह पाते है कि राज्य द्वारा दायर की गई अपील को असावधान तरीके से निबटारा कर दिया गया है।

5. अपीलीय न्यायालय पर दोषमुक्ति की साक्ष्य पर आधारित आदेश को रिब्यू करने पर कोई प्रतिरोध नहीं है। सामान्य तौर पर दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए क्योंकि दोषमुक्ति से अभियुक्त के निर्दोषिता की धारणा को और बल मिलता

है। आपराधिक मामलों में न्याय प्रशासन के जाल में जो महत्वपूर्ण सिद्धान्त चलता है वह है कि यदि किसी मामले में प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार दो दृष्टिकोण संभव हों जिसमें एक विचार अभियुक्त की दोषसिद्धि व दूसरा विचार उसके दोषमुक्ति पर इशारा करता हो तो वह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जो अभियुक्त के पक्ष में हो। न्यायालय का सर्वोपरि विचार यह सुनिश्चित करना है कि न्याय की विफलता को रोका जाए। दोषियों को बरी करना किसी निर्दोष को दोषी ठहराये जाने से कम नहीं है ऐसे में न्याय की विफलता उत्पन्न हो सकती है। ऐसे मामले मे जहा ग्राह्य साक्ष्य को नजरअंदाज किया गया है वहा अपीलीय न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह साक्ष्य का पुनः विश्लेषण करे जहा अभियुक्त दोषमुक्त हुआ है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या किसी अभियुक्त द्वारा वास्तविकता में कोई अपराध हुआ है या नहीं। (देखें भगवानसिंह व अन्य बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2002(2) सुप्रीम 567)। अपीलीय न्यायालय को इस सिद्धांत की पालना करनी चाहिए कि दोषमुक्ति के आदेश में तभी हस्तक्षेप किया जाना है जब सम्मोहक व पर्याप्त कारण मौजूद हों। यदि आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से अनुचित है और प्रक्रिया में प्रासंगिक और ठोस सामग्री को अनुचित तरीके से हटा दिया गया है तो यह हस्तक्षेप का अनिवार्य कारण है। इन पहलुओं पर इस न्यायालय द्वारा इन मामलों में प्रकाश डाला गया हैः शिवाजी सहाबराओ बोबदे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य **(**एआईआर **1973** एससी **2622),** रमेश बाबूलाल दोषी बनाम गुजरात राज्य **(1996 (4)**

सुप्रीम **167**), जसवंतसिंह बनाम हरियाणा राज्य **(2000 (3)** सुप्रीम **320),** राजकिशोर झा बनाम बिहार राज्य व अन्य **(2003 (7)** सुप्रीम **152),** पंजाब राज्य बनाम करनेल सिंह **(2003 (5)** सुप्रीम **508),** पंजाब राज्य बनाम पोहला सिंह व अन्य **(2003 (7)** सुप्रीम **17***)* एवं वी.एन.रतीश बनाम केरल राज्य **(2006 (10)** एससीसी **617)**।

6. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष निम्नानुसार पढे जाते हैः-

"यह सच है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की कापी मजिस्ट्रेट के घर पर पंहुचने में थोडी देरी हुई है पर यह नहीं कहा जा सकता कि यह असामान्य देरी है। पी.डब्ल्यू-1, पी.डब्ल्यू-14 एवं पी.डब्ल्यू-15 के संस्करण के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट पी.डब्ल्यू-1 द्वारा करीब 10-30 ए.एम पर दी गई थी जिसके बल पर पी.डब्ल्यू-14 ने अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। गवाह पी.डब्ल्यू-14 की साक्ष्य से यह जाहिर होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति उसे करीब 1:30 पीएम पर प्राप्त हो गई थी किन्तु उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट की रसीद पर समय नहीं लिखा, पर पी.डब्ल्यू-15 का यह प्रतिकूल मामला रहा है कि उसे करीब 1:30 पीएम पर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो गई थी। एक बार यह संस्करण स्वीकार कर लिया गया है तो प्रतिरक्षा

पक्ष का यह संस्करण कि प्रथम सूचना रिपोर्ट 8:30 पीएम पर दी गई है, अस्वीकार किया जाता है।"

अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मोव्वा चन्द्र शेखर राव द्वारा महराजसिंह बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (1994 (5) एससीसी 188) के फैंसले पर निर्भर किया गया है जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में असामान्य देरी का स्पष्टीकरण देना होगा। हमें उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि पी.डब्ल्यू-1 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाने पर करीब 10:30 एएम पर दे दी गई थी जो कि चोटिल को तुरन्त गुण्टूर के अस्पताल पंहुचा देने के बाद की गई थी। अगर यदि थोडी देरी मजिस्ट्रेट को प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति देने में हुई है तो सीधे ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट उस समय पर नहीं दी गई थी जो पी.डब्ल्यू-1 ने कहा है।

बचाव पक्ष का यह मामला नहीं है कि अभियुक्त पक्ष व मृतक पक्ष के बीच कोई राजनैतिक लडाई हो अतः यह न्यायालय कोई कारण नहीं पाता है कि पी.डब्ल्यू-1 से पी.डब्ल्यू-3 एवं पी.डब्ल्यू-5 ए-1 के विरूद्ध

कहानी गढेंगे। इन परिस्थितियों में हमें यह मानते हुए कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन यह साबित करने में सफल रहा है कि ए-1 ही मृतक की हत्या कारित करने का जिम्मेदार है और वह धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में अपराधी है।

हस्तगत मामले में ए-2 से ए-5 पर अभियोजन के गवाहान द्वारा जो भूमिका सौंपी गई है वह बहुत छोटी है। मात्र उन्हें मौके पर होने के ही सबूत साक्ष्य में सुरक्षित हो पाये हैं। इन्होनें मृतक की हत्या करने में कोई भाग नहीं लिया है और इसी कारण इस न्यायालय का विचारित दृश्य यह है कि ए-2 से ए-5 को मृतक की हत्या कारित करने के लिए दोषी नही ठहराया जा सकता। इन परिस्थितियों में हम निम्न आदेश पारित करते हैः-

"राज्य द्वारा दायर की गई अपील ए-1 की हद तक स्वीकार की जाती है। ए-1 को दोषसिद्ध किया गया और उसे उक्त उम्रकैद की सजा से दण्डित किया गया है और उसे यह निर्देशित किया है कि वह विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुण्टूर के समक्ष तुरंत समर्पण करें। राज्य द्वारा ए-2 से ए-5 के विरूद्ध दायर की गई अपील को खारिज किया जाता है।"

7. हम इस निष्कर्ष पर पंहुचते है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपने मष्तिष्क का प्रयोग कानून की स्थिति व विभिन्न पहलुओं पर नहीं दिया गया है जो उपर दर्शित है कि किस हद तक अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के खिलाफ दायर की गई अपील में हस्तक्षेप कर सकता है। इन परिस्थितियों में हम आक्षेपित आदेश को अपास्त करते है और मामले को उच्च न्यायालय में नए सिरे से कानूनन तरीके से केवल अपीलार्थी के विचारण के लिए भेजते है। राज्य द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। यह उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने ए-2 से ए-5 की दोषमुक्ति को कायम रखा है जो विचारण न्यायालय द्वारा किया गया था।

8. उपरोक्त सीमा तक अपील किये जाने की अनुमति दी जाती है।

एस.के.एस.

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सोनिका मीना (आर.जे.एस., द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।